न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2020-00199RAAJodhpur2020-096RTA225 Anopsingh etc Vs Bhabutram n ors

1. अनोपसिंह पुत्र सुल्तानसिंह राजपूत
2. चैनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह राजपूत
3. प्रेमसिंह पुत्र सुल्तानसिंह राजपूत
4. दलपतसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत
   निवासीगण ग्राम खेतासर, तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. भबूताराम पुत्र पेमाराम जाट (लेगा)
2. रूपाराम पुत्र करनाराम जाट (लेगा)
3. मथुराराम पुत्र ताजाराम जाट (लेगा)
4. गिरधारीराम पुत्र तिलोकराम जाट (लेगा)
5. मांगीलाल पुत्र विशनाराम जाट (लेगा)
6. भंवराराम पुत्र किशनाराम जाट (लेगा)
   निवासीगण जसनाथनगर, खेतासर,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 04 अगस्त 2020 राजस्व प्रकरण संख्या 65/2020 अनोपसिंह व अन्य बनाम भबूताराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री उम्मेदसिंह बांवरला, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 25 सित. 2020

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 65/2020 अनोपसिंह व अन्य बनाम भबूताराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 04 अगस्त 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील दिनांक 17 अगस्त 2020 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 466 रकबा 21.2945 हैक्टेयर वाके जसनाथनगर पटवार हळका खेतासर तहसील ओसियां के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया और मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई आदेश पारित किये मूल वाद में आदेशिका पर मात्र रबर की मोहर लगाते हुए आगामी तारीख पेशी 29 सितम्बर 2020 मुकर्रर कर दी गयी। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट्स व अन्य सहखातेदारान की सहखातेदारी की भूमि है, जिसका आदिनांक तक औपचारिक बंटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट्स अपने हिस्से अनुसार पीढियाती काबिज काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी के पडौस में ही रेस्पो. की खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, रेस्पो. जबरन अपनी खातेदारी की भूमि से अधिक अपीलाण्ट्स के हक-हिस्से की भूमि पर भी कब्जा करने पर आमादा है जिसे रोका जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया और दावे के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2020 को स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत अपीलाण्ट्स-वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, किन्तु स्थगन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थनापत्र के संबंध में कोई आदेश पारित किये बिना ही मूल वाद में आगामी तारीख पेशी 29 सितम्बर 2020 मुकर्रर कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि स्वयं अपीलाण्ट्स के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया गया। जब कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया, तो बिना किसी आदेश के आलौच्य अपील चलने योग्य ही नहीं है। इस संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. ने 2014 आरआरडी 345 की ओर अदालत हाजा का ध्यान आकर्षित किया। अधिवक्ता-रेस्पो. का यह भी कथन है कि रेस्पो. द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है, रेस्पो. मात्र स्वयं की खातेदारी के खसरा संख्या 465 पर काबिज काश्त है, वस्तुस्थिति तो यह है कि मौके पर एक कदीमी रास्ता चल रहा है, उक्त बंद रास्ते को अपीलाण्ट्स द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाने पर बंद रास्ते को खुलवाने हेतु रेस्पो. की ओर से तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश किया गया। उक्त कार्यवाही को रुकवाने की मंशा से अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया है। रेस्पो. को तथाकथित अतिक्रमण के आरोपों की आड में रास्ते के उपयोग-उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है।

प्रत्युत्तर में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का तर्क है कि 04 अगस्त 2020 को आदेश मूल वाद के नोटिस जारी किये जाने बाबत किया गया है, स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत बहस सुनी जाने के उपरान्त भी तत्संबंधित कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि/भूल की गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की दिनांक 04 अगस्त 2020 की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से आलौच्य अपील चलने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत नजीर एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अदालत हाजा अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत नजीर 2014 आरआरडी 345 का सम्मान करती है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि--

> राजस्व अपील प्राधिकारी को एकपक्षीय या अन्तरिम एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा के विरुद्ध जो आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी है और जो आदेश 39 नियम 3 एवं 3ए के प्रावधानों के अनुसार पारित किये गये है या जहां पर विचारण न्यायालय ने कोई अस्थायी निषेधाज्ञा अथवा रिसीवन नियुक्त करने का आदेश नहीं किया है, के आदेशों के विरुद्ध अपील ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है .....।

मगर आलौच्य मामले में उक्त नजीर तथ्यों की भिन्नता के कारण लागू नहीं होती है, क्योंकि आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत बहस समायत कर लिये जाने के उपरान्त भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने अथवा नहीं जारी नहीं किये जाने बाबत अपना कोई स्वविवेकीय निष्कर्ष जाहिर नहीं किया और आदेशिका में मात्र मूल वाद में प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने के निर्देश देते हुए आगामी तारीख पेशी मुकर्रर कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष संधारणीय नहीं है।

जहॉ तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में एक तरफ अपीलाण्ट्स के खातेदारी अधिकारों के संरक्षण का प्रश्न है तो दूसरी ओर रेस्पो. द्वारा कदीमी रास्ते का विवाद होना और बंद रास्ते को खुलवाने की कार्यवाही में अडचने डालने की मंशा से अपीलाण्ट्स द्वारा वाद एवं स्थगन प्रार्थनापत्र की कार्यवाही किया जाना जाहिर किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. द्वारा किये गये अभिकथन (मौके पर अवरूद्ध कदीमी रास्ते को खुलवाने की कार्यवाही में अडचन डालने के लिए अपीलाण्ट्स द्वारा दावा पेश किया गया है) से यह प्रकट होता है कि वर्तमान में मौके पर कदीमी रास्ता बंद है जो विधिवत सक्षम आदेश पारित होने के बाद ही खोला जा सकता है। अपीलांटस् पृथक खसरा नं. एवं स्वतंत्र खेत के रिकॉर्डेड खतेदार होने से अपनी भूमि में खातेदारी अधिकारों का बिना किसी अन्य के दखल के उपयोग करने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं पक्षकारान की बहस आदि के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 466 रकबा 21.2945 हैक्टर वाके जसनाथ नगर पटवार हळका खेतासर तहसील ओसियां जिला जोधपुर में किसी प्रकार की दखलंदाजी अथवा अतिक्रमण अथवा अपीलाण्ट्स के कब्जे-काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु रेस्पो. को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है साथ ही पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी में उक्त कदीमी रास्ते के संबंध में विधिक उपचारों के उपयोग के लिए चल रही कार्यवाही एवं उसके निष्कर्ष के संबंध में यह आदेश किसी प्रकार से बाधक नहीं होगा अर्थात् समक्ष न्यायालय इसकी समुचित सुनवाई हेतु स्वंतत्र है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/9/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर